रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122024-259577
CG-DL-E-21122024-259577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 21, 2024/अग्रहायण 30, 1946
No. 715] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 21, 2024/AGRAHAYANA 30, 1946

शिक्षा मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 777(अ).— केन्द्रीय सरकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (च क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में, भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"भाग 5 क- कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना

16 क. रीति और शर्तें जिनके अध्यधीन किसी बालक को रोका जा सकता है- (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर पांचवीं कक्षा और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट, नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात्, यदि कोई बालक समय-समय पर यथा अधिसूचित, प्रोन्नति मानदण्ड को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा।

(3) यदि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट पुन: परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक, प्रोन्नति के मानदण्ड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यतास्थिति, पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा।

(4) बालक को रोके रखने के दौरान, कक्षा शिक्षक बालक के साथ-साथ, यदि आवश्यक हो तो, बालक के माता-पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात् विशेषज्ञीय इनपुट प्रदान करेगा।

(5) स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञीय इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनीटरी करेगा।

(6) बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुन: परीक्षा सक्षमता-आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी।

(7) किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।"

[फा. सं. 1-3/2017-ईई-4/आईएस-3]

अनिल कुमार सिंघल, अपर सचिव

टिप्पण.— मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), तारीख 9 अप्रैल, 2010 में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 301(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2010, द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1302(अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे और भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), तारीख 17 अक्तूबर , 2017 को प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2024

G.S.R. 777(E).— In exercise of the powers conferred by clause (fa) of sub-section (2) of section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, after Part V, the following Part shall be inserted, namely: -

"PART VA- EXAMINATION AND HOLDING BACK IN CERTAIN CASES

16A. Manner and conditions subject to which a child may be held back **.** — (1)There shall be regular examination in the fifth class and in the eighth class at the end of every academic year.

(2) After the conduct of regular examination, referred to in sub- rule (1), if a child fails to fulfil the promotion criteria, as notified from time to time, he shall be given additional instruction and opportunity for re-examination within a period of two months from the date of declaration of results.

(3) If the child appearing in the re-examination referred in sub -rule (2), fails to fulfil the promotion criteria again, he shall be held back in fifth class or eighth class, as the case may be.

(4) During the holding back of the child, the class teacher shall guide the child as well as the parents of the child, if necessary, and provide specialised inputs after identifying the learning gaps at various stages of assessment.

(5) The Head of the school shall maintain a list of children who are held back and personally monitor the provisions provided for specialised inputs to such children and their progress with respect to the identified learning gaps.

(6) The examination and re-examination shall be competency-based examinations to achieve the holistic development of the child and not be based on memorisation and procedural skills.

(7) No child shall be expelled from any school till he completes elementary education.".

[F. No. 1-3/2017-EE-4/IS-3]

ANIL KUMAR SINGHAL, Addl. Secy.

Note.— The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 301(E), dated the 8th April, 2010 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 9th April, 2010 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1302(E), dated the 17th October, 2017 and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 17th October, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2024.12.21 16:35:30 +05'30'